राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 311

12 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र की सरकारी कंपनियों हेतु वहनीयता संबंधी खंड में छूट

311. श्री संजय सिंहः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 2003-04 से 2014-15 तक 'सेल' लाभ की स्थिति में था, परंतु 2015-16 के दौरान हुई हानि के फलस्वरूप सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 3 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन के वहनीयता संबंधी खंड में निहित सीमाओं के कारण इसे 01.01.17 से आगामी दस वर्षों के लिए वेतन संशोधन से वंचित कर दिया;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने विगत पांच वर्षों में से सर्वोत्तम तीन वर्षों पर विचार करते हुए इस्पात क्षेत्र की सरकारी कंपनियों संबंधी वहनीयता खंड में छूट देने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग से अनुरोध किया है, क्योंकि यह हानि इस्पात उद्योग की चक्रीय प्रकृति और वैश्विक कंपनियों की नीतियों के प्रभाव के कारण हुई है;

(ग) क्या सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी॰पी॰ई॰) ने मंत्रालय को वहनीयता संबंधी खंड में छूट हेतु कैबिनेट की मंजूरी मांगने की अनुमति दी है; और

(घ) क्या मंत्रालय ने कैबिनेट की मंजूरी हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): जी हाँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) वर्ष 2003-04 से 2014-15 तक लाभ की स्थिति में था और वर्ष 2015-16 में नुकसान में रहा। दिनांक 03.08.2017 के डीपीई दिशा-निर्देशों के खंड 3 के अनुसार बोर्ड स्तर के कार्यकारियों, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारियों तथा गैर-संगठित सुपरवाइजर्स के लिए संशोधित वेतन पैकेज लागू करने के लिए, लागू करने वाले वर्ष में अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव उससे पहले के तीन वित्त वर्षों के औसत कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। डीपीई दिशा-निर्देशों में आगे कहा गया है कि जिन सीपीएसई में संशोधित वेतन पैकेज का अतिरिक्त वित्त प्रभाव पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत पीबीटी के 40% से अधिक होगा, उन्हें कोई फिटमेंट अथवा वेतन संशोधन लाभ देय नहीं होगा। सेल का पिछले तीन वित्त वर्षों, यथा वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 का औसत पीबीटी ऋणात्मक था। तद्नुसार, सेल कार्यकारियों का वेतन संशोधन नहीं किया जा सका।

(ख) और (ग): इस्पात मंत्रालय के अनुरोध के क्रम में, डीपीई ने स्पष्ट किया है कि 'वहनीयता' मानदंड में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। डीपीई ने 2017 वेतन संशोधन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, साथ ही, तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) की रिपोर्ट पर सचिव समिति (सीओएस) की सिफारिशों के आधार पर एक वहनीयता खंड भी शामिल किया है।

(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव प्रारंभ नहीं किया गया है।

****